

न्यायालय, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

द्वितीय अपील संख्या-92/2008-09

अन्तर्गत धारा-331 भू0रा0अधि0

कमल सिंह पुत्र जितार सिंह, निवासी-ग्राम नथुवावाला, परगना परवादून, जनपद देहरादून।

बनाम

1- त्रिलोक सिंह पुत्र मातबर सिंह, निवासी-ग्राम नथुवावाला, परगना परवादून, जनपद देहरादून, 2. श्रीमती दमयन्ती भट्ट पत्नी स्व0 बी0एम0 भट्ट निवासिनी-20 राजीव जुयाल मार्ग, निरंजनपुर, देहरादून, 3. ग्राम सभा नथुवावाला, देहरादून।

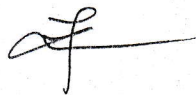
उपस्थित : श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।
अधिवक्ता अपीलकर्ता : श्री अरुण सक्सेना।
अधिवक्ता प्रतिपक्षीगण : श्री दिनेश त्यागी।

निर्णय

यह द्वितीय अपील अपीलकर्ता उपरोक्त ने अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी द्वारा प्रथम अपील संख्या-5 वर्ष 2005-06 कलम सिंह बनाम त्रिलोक सिंह आदि में पारित आदेश दिनांक 19-11-2008 के विरुद्ध प्रमुख रूप से इस आधार पर कि विवादित भूमि के तीन कुरे बनने चाहिए जिनमें से एक उत्तरदात्री दमयन्ती का होना चाहिए, कि आवंटित कुरे स्थलीय स्थिति के विपरीत है एवं कि संयुक्त खाते में से कुछ भूमि का बंटवारा नहीं हो सकता है प्रस्तुत की गई है।

इस द्वितीय अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं:-

उत्तरदाता संख्या-1/वादी त्रिलोक सिंह ने एक वाद अन्तर्गत धारा-176/178 जं0वि0अधि0 का सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, देहरादून के समक्ष दिनांक 14-02-2001 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी व प्रतिवादी को अपने तारु रणजीत सिंह पुत्र श्रीचन्द सिंह से भूमि खसरा नं0-686/1 रकबा 1.384 है0 स्थित ग्राम नथुवावाला बजरिये वसीयत दिनांक 08-07-1977 प्राप्त हुई है जिसमें वादी व प्रतिवादी प्रत्येक का 1/2 हिस्सा है, कि प्रतिवादी संख्या-1/अपीलकर्ता ने अपने 1/2 भाग में से 0.19 एकड़ भूमि वी0एम0 भट्ट को विक्रय की हुई है, कि वादी अपने हिस्से की भूमि का पूर्ण लाभ नहीं उठा पा रहा है और फसल के बंटवारे में प्रतिवादी के साथ हमेशा विवाद बना रहता है, कि वादी ने प्रतिवादी को बंटवारे के बारे में कई बार कहा लेकिन प्रतिवादी ने उसे टाल दिया, कि प्रतिवादी वादी के साथ भूमि में पानी लगाने और अन्य कार्य करने में अवरोद्ध उत्पन्न करता है और उसके साथ झगड़ा करने पर उतारू रहता है, कि वादी का वाद कारण माह फरवरी के



प्रथम सप्ताह में उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी ने बंटवारा करने से मना कर दिया एवं कि वादग्रस्त भूमि का 1/2 भाग की डिक्री वादी के हक में व शेष 1/2 भाग में से एक बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या-2 को देते हुए शेष भूमि की डिक्री प्रतिवादी संख्या-1 के पक्ष में पारित कर दी जाए। मूल वाद में विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, देहरादून ने पक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर आदेश व आज्ञाप्ति दिनांक 19-12-2005 से मूलवाद पत्रावली में स्थित कागज संख्या-37/6 में दर्शाये गये कुर्रे के आधार पर वादग्रस्त खसरा संख्या-686/1 क्षेत्रफल 1.384 है0 में से कुर्रा नं0-1 जो पीले रंग से प्रदर्शित है त्रिलोक सिंह पुत्र मातबर सिंह एवं कुर्रा नं0-2 जो बैंगनी रंग से प्रदर्शित है कलम सिंह पुत्र जितार सिंह को, प्रत्येक को 0.692 है0 भूमि, आवंटित करने के आदेश पारित किये तथा कलम सिंह द्वारा विक्रय की गई भूमि उसके हिस्से से कम करने के आदेश भी पारित किये गये।

आदेश व आज्ञाप्ति दिनांक 19-12-2005 (प्रथम अपील मीमो में त्रुटिवश 20-12-2005 टंकित) के विरुद्ध कलम सिंह/अपीलकर्ता द्वारा आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जिसे विद्वान अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल ने बलहीन होने के कारण अपने आदेश दिनांक 19-11-2008 से निरस्त किया। आदेश दिनांक 19-11-2008 के विरुद्ध ही यह द्वितीय अपील निदेशित है।

इस द्वितीय अपील के निस्तारणार्थ मात्र दो ही विधिक सारवान प्रश्न महत्वपूर्ण है जो कि निम्नवत है:-

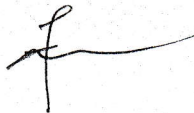
- 1- क्या वादग्रस्त भूमि के तीन कुर्रे बनने चाहिए थे ? एवं
- 2- क्या आवंटित कुर्रे स्थलीय स्थिति के विपरीत है ?

इस द्वितीय अपील में दिनांक 25-04-2016 को पक्षकारों की आंशिक बहस को सुना गया एवं उन्ही के इस अनुरोध पर कि पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा रथल का निरीक्षण कर सुलह, समझौता करने हेतु समय प्रदान कर ही पुनः बहस का अवसर दिया जाए के अनुसार पुनः बहस हेतु तिथि नियत की गई। पुनः दिनांक 08-07-2016 को अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत आदेश-41, नियम-27 सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र पर पक्षकारों की बहस सुनी गई जिसे आदेश दिनांक 02-08-2016 से निस्तारित किया गया परन्तु तब तक भी पक्षकारों के मध्य सुलह नहीं हो पायी थी। आज दिनांक 09-05-2017 को पक्षकारों के मध्य सुलह न हो पाने के कारण उनके विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को सुना गया एवं पक्षकार के समक्ष भी कुर्रे दिखाकर उनका पक्ष एवं दृष्टिकोण जाना गया।

संयुक्त जोत के सम्पूर्णता में ही विभाजन हो सकने सम्बन्धी इस द्वितीय अपील के एक आधार के सम्बन्ध में विस्तृत विनिश्चयन एवं निस्तारण इस न्यायालय के आदेश दिनांक 02-08-2016 द्वारा किया जा चुका है जिसे यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

पहला विधि का सारवान प्रश्न यह है कि :-

- 1- क्या वादग्रस्त भूमि के तीन कुर्रे बनने चाहिए थे?



इस सम्बन्ध में यह महत्वपूर्ण है कि उत्तरदात्री दमयंती भट्ट ने मूल निर्णय व आज्ञापति अथवा प्रथम अपीलीय निर्णय व आज्ञापति के विरुद्ध कोई अपील नहीं की है अतः उक्त निर्णय व आज्ञापति उसपर बाध्यकारी है या यह कहा जाए कि वह अपनी भूमि के एक कुरा विशेष में निर्धारित स्थिति से संतुष्ट है तदनुसार यह विधि का सारवान प्रश्न इस आशय से निर्णीत होता है कि वादग्रस्त भूमि के तीन कुरे बनाने आवश्यक नहीं थे।

विधि का दूसरा सारवान प्रश्न यह है कि :-

2- क्या आवंटित कुरे स्थलीय स्थिति के विपरीत है?

परीक्षण न्यायालय द्वारा जो अंतिम कुरे स्वीकार किये गये हैं उसकी स्थिति परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर कागज संख्या-37/6 प्रदर्शित है। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आज्ञापति के अनुसार पीले रंग में प्रदर्शित कुरा, सिवाए उसके एक छोर में उत्तरदात्री दमयंती देवी को विक्रीत भूमि के, उत्तरदाता संख्या-1 त्रिलोक सिंह को आवंटित है जबकि बैंगनी रंग से प्रदर्शित कुरा अपीलकर्ता कमलसिंह को आवंटित है। पक्षकार स्वीकार करते हैं कि बैंगनी रंग से प्रदर्शित कुरे में कमल सिंह की आबादी है। उक्त रूप से आवंटित कुरों से दोनों पक्षों को समान रूप से बालावाला-शमशेरगढ़ सड़क का लाभ मिलता है परन्तु अपीलकर्ता इस बात पर बल दे रहा है कि पक्षकार के मध्य पूर्व से कोई सहमति बनी हुई है जिसके अधीन वे स्थल पर अध्यासित है एवं तदनुसार ही उत्तरदाता संख्या-1 को वर्णित सड़क के समानान्तर कुरा न आवंटित कर इस सड़क के समानान्तर भूमि का कुरा बनाकर अपीलकर्ता को आवंटित किया जाए एवं ठीक इस कुरे के पीछे कुरा बनाकर उत्तरदाता संख्या-1 को आवंटित किया जाए अर्थात् वर्णित सड़क का लाभ उत्तरदाता को न मिले। उत्तरदाता संख्या-1 कथित सहमति एवं प्रस्तावित स्थिति से सहमत नहीं है। स्वाभाविक है कि उसे सहमत होना भी नहीं चाहिए क्योंकि अपीलकर्ता का प्रस्ताव स्वीकार करने पर वह बालावाला-शमशेरगढ़ मार्ग के लाभ से वंचित हो जाता है। अपीलकर्ता की हठ अनुचित एवं अन्यायपूर्ण है क्योंकि एक ओर वह अपनी आबादी को स्वाभाविक रूप से अपने कुरे में चाहता है दूसरी ओर वर्णित सड़क का सम्पूर्णता में लाभ लेकर उत्तरदाता संख्या-1 को उसके लाभ से पूरी तरह वंचित रखना चाहता है जो प्रत्यक्षतः अन्यायपूर्ण है। दूसरी ओर उत्तरदाता संख्या-1 अपीलकर्ता को आवंटित कुरा लेने में भी सहमत है। उसका एकमात्र तर्क, जो कि न्यायसंगत है, यह है कि उसे भी मुख्य सड़क का लाभ मिलना चाहिए। अपीलकर्ता परीक्षण न्यायालय द्वारा आवंटित कुरों के विनिमय से भी सहमत नहीं है तदनुसार मेरे समक्ष आवंटित कुरों को अंतिम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है ताकि दोनों पक्षों को वर्णित सड़क का समान रूप से लाभ मिले एवं अपीलकर्ता की आबादी भी उसी के कुरे में समायोजित हो जाए। मेरे इस रुख को भांपते हुए अपीलकर्ता ने वादग्रस्त भूमि पर स्थित सिंचाई गूल पर विवाद होने की आशंका जताई जिसके सम्बन्ध में पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण से परामर्श कर यह तय किया जाना न्यायसंगत माना गया कि कुरों का अभिलेखीय क्षेत्रफल यथावत रखते हुए स्वीकृत कुरों में सिंचाई गूल को यथावत प्रदर्शित किया जाए एवं बने हुए कुरों में से स्थल



पर इनका क्षेत्रफल समान रूप से घटा दिया जाए ताकि भविष्य में कोई विवाद न रहे।
तदनुसार यह विधि का दूसरा व अंतिम सारवान प्रश्न उक्त विवेचन, विश्लेषण व निष्कर्ष के
साथ निर्णीत किया जाता है।

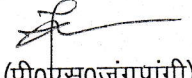
उपर्युक्त विमर्श के दृष्टिगत अपील यद्यपि अस्वीकारणीय है परन्तु आक्षेपित
अंतिम आज्ञा अति आंशिक रूप से संशोधित होने योग्य है।

आदेश

अपील अति आंशिक रूप से मात्र इस आधार पर स्वीकार की जाती है कि
आक्षेपित अंतिम आज्ञा इस आशय से संशोधित हो कि वादग्रस्त भूमि पर बनी सिंचाई गूल
की स्वीकृत कुरी पर स्थलीय स्थिति प्रदर्शित कर दी जाए एवं उसका वास्तविक क्षेत्रफल
घटाकर पूर्व से आवंटित कुरी पुनर्समायोजित किये जाये ताकि गूल पर संयुक्त स्वामित्व रहे।
इस न्यायालय की पत्रावली संचित तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली वापस की जाएं।


(पी०एस०जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)

आज दिनांक 09-05-2017 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं
दिनांकित।


(पी०एस०जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)